न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व मुकाम रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 89/2019

जीसीएमएस आईडी :– 2019/00188

1.कालूराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति नायक निवासी श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)

2.भूरा राम पुत्र श्री श्यामाराम जाति नायक निवासी श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)

–:वादीगण

बनाम

1.पपली पत्नी अजीताराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)

2.मोटाराम पुत्र श्री अजीताराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)

3. पन्नूराम पुत्र श्री अजीताराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)

4. सोनाराम पुत्र श्री अजीताराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)

5. किशनाराम पुत्र श्री अजीताराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)

6. बख्तूदेवी पुत्री श्री अजीताराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)

7. गुडडीदेवी पुत्री श्री अजीताराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)

8. मंगलाराम पुत्र श्री अजीताराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)

9. करनाराम पुत्र श्री श्यामाराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर(राज.)

10. कमला पत्नी मालूराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर(राज.)

11. राजपाल पुत्र श्री मालूराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगगांनगर(राज.) नाबालिग जरिए माता कमला पत्नी श्री मालूराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर(राज.)

12. सोहन लाल पुत्र श्री बुधराम मालूराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)

13. राजस्थान जरिये श्रीमान् तहसीलदार(राजस्व)रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर (राज.)

प्रतिवादीगणः–

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री अवतार सिंह बराड़, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री छविन्द्र सिंह बराड़, अधिवक्ता प्रतिवादी सं.9–10

–: निर्णय :–

दिनांकः–18.01.2021

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2020 को पारित निर्णय द्वारा प्राथमिक डिक्री [illegible] तहसीलदार रायसिंहनगर वादगत भूमि चक 60 एनपी तहसील रायसिंहनगर के [illegible] के मु.नं. 37 प.नं. 226/359 कि.नं. 1 ता 25 की 6.325है. नहरी तथा [illegible] मु.नं. 38 प.नं. 1 से 9 एवं 11–12–13/1 एवं 16 ता 25 की 3.162है. नहरी कुल 9.487है. नहरी भूमि [illegible] पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि का पक्षकारान की मौजूदगी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के तहत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करें" के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए गये थे।

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.21 16:31:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तहसीलदार भू.अ. रायसिहनगर द्वारा अपने पत्रांक 3240 दिनांक 03.12.2020 द्वारा पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा प्रेषित किया हैं। मुताबिक रिपोर्ट चक 60 एनपी के प.नं. 226/359 मु.नं 37 कि.नं. 1ता25 का 6.325 है. नहरी मु.नं. 38 का कि.नं. 11–12 व 16 ता 25 की 3.036है. तथा 13/1 में 0.126है. कुल 3.162है. नहरी सकल 9.487है. नहरी रकबा कालूराम पुत्र गणेशाराम 2.372है., पपली पत्नी अजीतराम–मोटाराम–पुन्नुराम–सोनाराम–किशनाराम–बख्तूदेवी–गुडडीदेवी पि0 अजीतराम हर सात बहिब 1.384है., मंगलाराम पुत्र अजीताराम 0.988है., भूराराम –करनाराम पि0 श्यामाराम बहिब 1.844है. नहरी कमला पत्नी मालूराम 0.475है., राजपाल पुत्र मालूराम 0.053है., सोहनलाल पुत्र बुधराम 2.371है. कौम नायक सा0 श्यामगढ़ खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। मुताबिक राजस्व रिकार्ड रकबा पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं। मौका पर कब्जा काश्त निम्न प्रकार से हैं–

1. मु.नं. 37 के कि.नं. 1–2, 9ता12, 19ता21 सालम, 22/1 का 0.082है. कुल 2.359है. रकबा :– **पपली पत्नी अजीतराम वगै.**
2. मु.नं. 37 के कि.नं. 21/2 में 0.171है., कि.नं. 3–8–13–18–23 का 1.265है. 4/1 में 0.184है., 7/1 में .185है., 14/1 में .184है., 17/1 में .185है., 24/1 में .185है. कुल 2.359है. रकबा :– **कालूराम पुत्र गणेशाराम**
3. मु.नं. 37 के कि.नं. 4/2 में 0.069है., 7/2 में 0.068है., 14/2 में 0.069है., 17/2 में 0.068है., 24/2 में 0.068, 5/1–6/1–15/1 प्रत्येक में 0.240है., 16/1 में 0.241है. व कि.नं. 25 सालम व मु.नं. 38 के कि.नं. 21 ता 23 सालम कि.नं. 24/1 में 0.044है. कुल 2.359है. रकबा :– **सोहनलाल वल्द बुधराम**
4. मु.नं. 38 के कि.नं. 11–12 की कुल 0.506है., 13/1 में 0.126है., 16/1 में 0.127है., 17/1 में 0.144है., 18/1 में 0.015है. कुल 0.918है. रकबा :– **भूराराम पुत्र श्यामाराम**
5. मु.नं. 38 के कि.नं. 16/2 में 0.126है., 17/2 में 0.094है., 18/2 में 0.223है., 19/1 में 0.238है., 20/1 में 0.237है. कुल 0.918है. रकबा :– **करनाराम वल्द श्यामाराम**
6. मु.नं. 38 का कि.नं. 17/3–18/3–19/2 प्रत्येक में 0.015है., 20/2 में 0.016है., 24/2 में 0.209है., 25 में 0.253है. कुल 0.523है. रकबा:– **कमला पत्नी मालूराम वगैरह**
7. मु.नं. 37 का कि.नं. 5/2–6/2–15/2 प्रत्येक में 0.013है., 16/2 में 0.012है. कुल 0.051है. रास्ता छोड़ा हुआ हैं।

वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील उभयपक्ष ने तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त पटवारी हल्का द्वारा मौका कब्जा काश्त अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद पत्र डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वादपत्र वादीगण स्वीकार किया जाता हैं। तथा तहसीलदार रायसिंनहगर की ओर से प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन कर निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता हैं –

1. मु.नं. 37 के कि.नं. 1–2, 9ता12, 19ता21 सालम, 22/1 का 0.082है. कुल 2.359है. रकबा :– **पपली पत्नी अजीतराम मंगलाराम–मोटाराम–पुन्नुराम–सोनाराम–किशनाराम–बख्तूदेवी–गुडडीदेवी पिसरान अजीतराम**
2. मु.नं. 37 के कि.नं. 21/2 में 0.171है., कि.नं. 3–8–13–18–23 का 1.265है. 4/1 में 0.184है., 7/1 में .185है., 14/1 में .184है., 17/1 में .185है., 24/1 में .185है. कुल 2.359है. रकबा :– **कालूराम पुत्र गणेशाराम**
3. मु.नं. 37 के कि.नं. 4/2 में 0.069है., 7/2 में 0.068है., 14/2 में 0.069है., 17/2 में 0.068है., 24/2 में 0.068, 5/1–6/1–15/1 प्रत्येक में 0.240है., 16/1 में 0.241है. व कि.नं. 25 सालम व मु.नं. 38 के कि.नं. 21 ता 23 सालम कि.नं. 24/1 में 0.044है. कुल 2.359है. रकबा :– **सोहनलाल वल्द बुधराम**
4. मु.नं. 38 के कि.नं. 11–12 की कुल 0.506है., 13/1 में 0.126है., 16/1 में 0.127है., 17/1 में 0.144है., 18/1 में 0.015है. कुल 0.918है. रकबा :– **भूराराम पुत्र श्यामाराम**
5. मु.नं. 38 के कि.नं. 16/2 में 0.126है., 17/2 में 0.094है., 18/2 में 0.223है., 19/1 में 0.238है., 20/1 में 0.237है. कुल 0.918है. रकबा :– **करनाराम वल्द श्यामाराम**

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.21 16:31:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

6. मु.नं. 38 का कि.नं. 17/3–18/3–19/2 प्रत्येक में 0.015है., 20/2 में 0.016है., 24/2 में 0.209है., 25 में 0.253है. कुल 0.523है. रकबा:– **कमला पत्नी मालूराम राजपाल पुत्र श्री मालूराम नाबालिक जरिए माता कमला पत्नी मालूराम**

7. मु.नं. 37 का कि.नं. 5/2–6/2–15/2 प्रत्येक में 0.013है., 16/2 में 0.012है. कुल 0.051है. **गैर मुमकिन रास्ता**

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक के राहिन आदि का शेष अंकन यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.01.21 **को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

18/01/2021

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.21 16:31:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी राजस्व मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 89 / 2019
जीसीएमएस आईडीः– 2019 / 00188

1.कालूराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति नायक निवासी श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)
2.भूरा राम पुत्र श्री श्यामाराम जाति नायक निवासी श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)

–:वादीगण

बनाम

1.पपली पत्नी अजीताराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)
2.मोटाराम पुत्र श्री अजीताराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)
3. पन्नूराम पुत्र श्री अजीताराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)
4. सोनाराम पुत्र श्री अजीताराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)
5. किशनाराम पुत्र श्री अजीताराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)
6. बख्तूदेवी पुत्री श्री अजीताराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)
7. गुडडीदेवी पुत्री श्री अजीताराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)
8. मंगलाराम पुत्र श्री अजीताराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)
9. करनाराम पुत्र श्री श्यामाराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर(राज.)
10. कमला पत्नी मालूराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर(राज.)
11. राजपाल पुत्र श्री मालूराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगगांनगर(राज.) नाबालिग जरिए माता कमला पत्नी श्री मालूराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर(राज.)
12. सोहन लाल पुत्र श्री बुधराम मालूराम जाति नायक श्यामगढ 59 एन.पी. तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज.)
13. राजस्थान जरिये श्रीमान् तहसीलदार(राजस्व)रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर (राज.)

–:प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांकः– 18.01.21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल [illegible] बहाजरी श्री अवतार सिंह बराड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदई श्री छविन्द्र सिंह [illegible] अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 9–10 मिनजानिब मुदायालाह पेश होकर हुकम [illegible] जारी है कि:– वादपत्र वादीगण स्वीकार किया जाता हैं। तथा तहसीलदार [illegible] से प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य खाता [illegible] पर निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता हैं –

1. मु.नं. 37 के कि.नं. 1–2, 9ता12, 19ता21 सालम, 227–1 का 0.082है. कुल 2.359है. रकबा :– पपली पत्नी अजीतराम मंगलाराम–मोटाराम–पुन्नुराम–सोनाराम–किशनाराम–बख्तूदेवी–गुडडीदेवी पिसरान अजीतराम

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.21 16:31:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2. मु.नं. 37 के कि.नं. 21/2 में 0.171है., कि.नं. 3–8–13–18–23 का 1.265है. 4/1 में 0.184है., 7/1 में .185है., 14/1 में .184है., 17/1 में .185है., 24/1 में .185है. कुल 2.359है. रकबा :– **कालूराम पुत्र गणेशाराम**

3. मु.नं. 37 के कि.नं. 4/2 में 0.069है., 7/2 में 0.068है., 14/2 में 0.069है., 17/2 में 0.068है., 24/2 में 0.068, 5/1–6/1–15/1 प्रत्येक में 0.240है., 16/1 में 0.241है. व कि.नं. 25 सालम व मु.नं. 38 के कि.नं. 21 ता 23 सालम कि.नं. 24/1 में 0.044है. कुल 2.359है. रकबा :– **सोहनलाल वल्द बुधराम**

4. मु.नं. 38 के कि.नं. 11–12 की कुल 0.506है., 13/1 में 0.126है., 16/1 में 0.127है., 17/1 में 0.144है., 18/1 में 0.015है. कुल 0.918है. रकबा :– **भूराराम पुत्र श्यामाराम**

5. मु.नं. 38 के कि.नं. 16/2 में 0.126है., 17/2 में 0.094है., 18/2 में 0.223है., 19/1 में 0.238है., 20/1 में 0.237है. कुल 0.918है. रकबा :– **करनाराम वल्द श्यामाराम**

6. मु.नं. 38 का कि.नं. 17/3–18/3–19/2 प्रत्येक में 0.015है., 20/2 में 0.016है., 24/2 में 0.209है., 25 में 0.253है. कुल 0.523है. रकबा:– **कमला पत्नी मालूराम राजपाल पुत्र श्री मालूराम नाबालिक जरिए माता कमला पत्नी मालूराम**

7. मु.नं. 37 का कि.नं. 5/2–6/2–15/2 प्रत्येक में 0.013है., 16/2 में 0.012है. कुल 0.051है. **गैर मुमकिन रास्ता**

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक के राहिन आदि का शेष अंकन यथावत रहेगा।

डिक्री आज दिनांक 18.01.21 को जारी की गई।

18/01/2021

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.21 16:31:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner